न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्टट्रेक), दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 163/2014/दावा

बोदूराम पुत्र बालूराम उम्र व्यस्क जाति बलाई निवासी ग्राम भवानीपुरा(रूपगढ) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– वादी

बनाम

1. पेमाराम
2. भगवानाराम
   पुत्रगण कजोड़मल उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी गण गाम भवानीपुरा (रूपगढ) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–

1. श्री बंशीधर बाज्या वकील वादी की ओर से

निर्णय दिनांक– 29.09.2016

कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) (सीकर)

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व उसके भाई कानाराम की कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा भूमि खसरा नं 920 रकबा 0.04 है., 921 रकबा 0.06 है. किता 2 कुल रकबा 0.10 है. वाके ग्राम भवानीपुरा प.मं. रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो कि वादी की कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा है। उपरोक्त भूमि पुश्तैनी है एवं कदीमी से ही वादी व उसका भाई कानाराम काबिज काश्त है एवं विधिवत रूप से दोनों ने शामिल में ही चारों तरफ पुराने समय से ही सींव नींव कायम कर रखी है इस प्रकार वादी की उपरोक्त कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा जमीन से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नहीं है तथा न ही उनका कोई लेना देना ही है। मात्र अब लाठी के बल पर उपरोक्त प्रतिवादी सं. 1 व 2 इस जमीन पर कब्जा का वादी को बेदखल करना चाहते है। इसके लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जाना न्यायसंगत है। जब भी वादी व उसके परिवार का कोई भी सदस्य अपनी जमीन में काश्त का काम करते है तो ये लोग मारपीट पर उतारू हो जाते है। इसके बावजूद जबरन वादी को बेदखल कर स्वयं कब्जा करने की कोशिश में है इसलिए वाद पेश किया जाना लाजिम हुआ है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 स्वर्ण

Scanned with CamScanner

जाति से है जबकि वादी गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्ति है मात्र इसी स्थिति का प्रतिवादीगण नाजायज फायदा उठाकर वादी की खातेदारीशुदा भूमि पर कब्जा करना चाहते है। वाद कारण दिनांक 17.11.2014 को प्रतिवादी सं. 1 ता 2 द्वारा वादी के अपनी उपरोक्त खातेदारीशुदा भूमियों में सार संभाल के लिए जाने पर एलानियां धमकी दी कि हम हमारे खेत के पास तुम्हारे जेसे लोगों का पड़ौस नहीं रखेंगे व जबरन यहां से बेदखल करेंगे तो वाद वाद उत्पन्न हुआ जो कि क्षण प्रतिक्षण निरंतर रूप से चालू है। विवादित भूमियां वादी व उसके भाई कानाराम की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारीशुदा है परन्तु कानाराम इस समय शारीरिक अस्वस्थता की वजह से चलने फिरने में असमर्थ होने से अकेले वादी द्वारा ही वाद लाया जाना लाजिम हुआ है। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार, दांतारामगढ को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित वादी व उसके भाई कानाराम की एकमात्र कब्जे काश्त व खातेदारी शुदा भूमि खसरा नं. 920 रकबा 0.04 है0, 921 रकबा 0.06 है0 किता 2 कुल रकबा 0.10 है0 तन ग्राम भवानीपुरा प.मं. रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर मौका स्थिति तब्दील करने, जबरन घुसकर नव निर्माण करने व अन्य किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कर कब्जा करने से मय अपने परिजन नोकर प्रतिनिधि बाज रहें।

2. वाद पत्र पेश होने पर जरिये नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. बहस वादी के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी के योग्य अभिभाषक ने बहस के दौरान दावा में अंकित वादी व उसके भाई की खातेदारी शुदा भूमि खसरा नं. खसरा नं. 920 रकबा 0.04 है0, 921 रकबा 0.06 है0 किता 2 कुल रकबा 0.10 है0 तन ग्राम भवानीपुरा प.मं. रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर मौका स्थिति तब्दील करने, जबरन घुसकर नव निर्माण करने व अन्य किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कर कब्जा करने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

उप कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ (सीकर)

4. हमने योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम भवानीपुरा प.मं. रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 8 के खसरा नं. 920, 921 किता 2 कुल रकबा 0.10 है0 भूमि वादी बोदू पुत्र बालू हि. 1/2 व काना पुत्र बालू हि. 1/2 की खातेदारी शुदा भूमि है। वादी अपनी खातेदारी शुदा भूमि से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये जाने का अधिकारी है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी व उसके भाई की खातेदारीशुदा व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं.

Scanned with CamScanner

खसरा नं. 920 रकबा 0.04 है0, 921 रकबा 0.06 है0 किता 2 कुल रकबा 0.10 है0 तन ग्राम भवानीपुरा प.मं. रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर मौका स्थिति तब्दील करने, किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कर कब्जा करने से बाज रहें। पर्चा डिकी जारी हो।

5. यह आदेश आज दिनाक 09.07.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ
दांतारामगढ़(सीकर)

Scanned with CamScanner

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर(फास्टट्रेक) दांतारामगढ

इजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस

बोदूराम बनाम पेमाराम आदि

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 163/2014/दावा

निर्णय दिनांक 29.09.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू जगदीश प्रसाद गौड आर.ए.एस बहाजरी **श्री बंशीधर बाज्या वकील** मिनजानिब मुद्दई व –– मुद्दालह पेश होकर हुकम दिया जाता है, अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है, प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी व उसके भाई की खातेदारीशुदा व कब्जे काश्त की आराजी ख.नं. खसरा नं. 920 रकबा 0.04 है0, 921 रकबा 0.06 है0 किता 2 कुल रकबा 0.10 है0 तन ग्राम भवानीपुरा प.मं. रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर मौका स्थिति तब्दील करने, किसी भी प्रकार की दखलंदाजी कर कब्जा करने से बाज रहें।

बीज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ....को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.09.2016 को जारी की गई।

दस्तखत ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	–	–	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	–	मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	2	00			
मीजान	5	00	मीजान		

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रैक)
दांतारामगढ(सीकर)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्टट्रेक), दांतारामगढ (सीकर)

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 163/2014/दावा

बोदूराम पुत्र बालूराम उम्र व्यस्क जाति बलाई निवासी ग्राम भवानीपुरा(रूपगढ) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

– वादी

ब ना म

1. पेमाराम
2. भगवानाराम
   पुत्रगण कजोड़मल उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी गण गाम भवानीपुरा (रूपगढ) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–

1. श्री बंशीधर बाज्या वकील वादी की ओर से

निर्णय दिनांक– 29.09.2016

(जगदीश प्रसाद गौड)
सहायक कलेक्टर(फास्टट्रेक), दांतारामगढ

दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned with CamScanner